

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OTHERS/43957/2020

07. परियोजना / स्कीम का स्थान :-

- | | | | |
|------|---|----|---|
| i | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | :- | छत्तीसगढ़ |
| ii | जिला | :- | उत्तर बस्तर कांकेर |
| iii | वन प्रभाग | :- | वन मण्डल कांकेर, परिक्षेत्र चारामा |
| iv | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैंक्टर में) | :- | चारामा परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड तेलगरा के कक्ष क्रमांक 1461 में से रकबा 30.529 हैं. |
| v | वन की कानूनी स्थिति | :- | नारंगी वन कक्ष क्रमांक 1461 |
| vi | हरियाली का धनत्व | :- | 0.2 तक |
| vii | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर. एल. एफ. आर. एल. - 2 मीटर पर परिगणना और एफ. आर. एल. - 4 मीटर भी संलग्न की जाए) | :- | प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना पत्र पेज क्रमांक से तक संलग्न है। कुल बांस भिरों की संख्या 3951 एवं मिश्रित वृक्ष 794 इस प्रकार कुल 4745 वृक्ष मौजूद है। |
| viii | भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी । | :- | प्रस्तावित स्थल कंकडीली एवं उबड़-खाबड़ होने के कारण मृदा भू-क्षरण होने की संभावना नहीं है। |
| xi | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी । | :- | प्रस्तावित क्षेत्र नारंगी वन खण्ड तेलगरा कक्ष क्रमांक 1461 का ही भाग है। |
| x | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाये) | :- | नहीं। |
| xi | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ / | :- | नहीं। |

और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।

08 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

महाविद्यालय भवन की स्थापना हेतु मांग की गयी भूमि 30.529 है, अपरिहार्य एवं न्यूनतम

है।

09 क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं)।

नहीं।

यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

! प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिलेखित वनेतर क्षेत्र/अवकमित

वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

परियोजना के विरुद्ध दृगुने क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु परिक्षेत्र चारामा के नारंगी वन खण्ड पलेवा (ब), कोटला कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1439 एवं ओ.ए. 1459 वन भूमि रकबा 61.040 है, में प्रस्तावित किया गया है।

!! प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिलेखित वनेतर / अवकमित

संलग्न है।

वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।

!!! रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि

पेज क्रमांक से तक संलग्न है।

IV प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।

प्रतिपूरक वनीकरण योजना राशि 44375122.66/- रुपये का तैयार की गई है।

V प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिलेखित क्षेत्र की उपयुक्ता के

बार में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)

मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र पेज क्रमांक ... से तक संलग्न है।

कर चिकित्सा के क्षेत्र में वस्त्र संभार के आवश्यकता नहीं होगी एवं चिकित्सा प्राप्त की चिकित्सकीय शिक्षा हेतु बाहर जाने की निर्माण होने से वस्त्र संभार के विद्यार्थियों चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय कांकर जिले के ग्राम तेनगरा में शासकीय की जाती है।

13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध :-

वनीकरण नहीं हुआ है।

:- वनेतर भूमि पर वन मण्डल में क्षतिपूर्ति

वनीकरण में वृद्धि हुई है।

किये गये क्षेत्रों के मूल्यांकन से प्रतिपूरक

:- विभिन्न परियोजनाओं के विरुद्ध खेपित

:-

:- नहीं।

भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है।

योजनाओं के विरुद्ध अब तक 1389.365 हे.

:- वन मण्डल अन्तर्गत वन भूमि स्वीकृत

iv 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण - :-

प्रयोग में लाया गया है।

12 प्रकारों में 126.569 हे. वन भूमि वनेतर

:- वन मण्डल अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल

कि.मी. है।

:- वन मण्डल का कुल क्षेत्रफल 705.27 वर्ग

वर्ग कि.मी. है।

:- वन मण्डल का भौगोलिक क्षेत्र 2686.695

12 विभाग / जिला प्रकाशित :-

(संलग्न करें)

कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए

11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त

:- संलग्न है।

में उप वन संरक्षक की विशेष सिकांरिष

ख वनेतर भूमि पर

क वन भूमि पर

v तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति -

ख वनेतर भूमि पर

क दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

कुल वन क्षेत्र

!!! मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया

!! जिले का वन क्षेत्र

! जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल

विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
चूँकि यह परियोजना शासन का महत्वपूर्ण
योजना से संबंधित है। योजना की प्रकृति
को देखते हुये बिकिन्सा महाविद्यालय
निर्माण के लिये वन भूमि अपवर्तन की
अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

दिनांक :-
स्थान :-
कांकेर
18/09/2020